



NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No.185 / NCRES / 2019

दिनांक 9.7.2019

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय :— इलाहाबाद मण्डल में सहायक लोको पायलटो से कपलिंग कटवा कर अन्याय करना।

संदर्भ :— एन.सी.आर.ई.एस. हेडक्वाटर पी.एन.एम. आइटम नं० 25 / 2013

महोदय,

नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के इलाहाबाद मण्डल में पूर्व के नियमों के विपरीत सहायक लोको पायलटो से गाड़ियों के कपलिंग कटवाने व जोड़ने का कार्य विगत वर्षों से कराया जा रहा है जब कि यह कार्य झांसी और आगरा मण्डल में ट्रैफिक पोर्टरो/शंटमैनों से कराया जाता है, इसके कारण इलाहाबाद मण्डल के सहायक लोको पायलटो में अत्यधिक आकोश है जो कि संरक्षा की दृष्टि से कर्तई उचित नहीं है।

यह संवेदनशील मामला हेडक्वाटर स्तर पर (PNM मद सं० 25 / 2013) सन् 2013 से चल रहा है और प्रत्येक PNM बैठक में आश्वासन दिया जाता है कि पोर्टर की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही ALP से कपलिंग कटवाने और जोड़ने का कार्य बन्द करा दिया जायेगा लेकिन खेद के साथ अवगत कराना है कि 6 वर्ष बाद भी ALP ही कपलिंग काट और जोड़ रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि झांसी और आगरा मण्डल की तरह इलाहाबाद मण्डल में भी कपलिंग जोड़ने और काटने का कार्य ट्रैफिक पोर्टर से कराने के लिये उचित आदेश जारी करने की कृपा करे और आदेश की प्रति NCRES को देने के लिये आदेश करने का कष्ट करे।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री